

भारत सरकार  
वस्त्र मंत्रालय,  
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,  
(पावरलूम विकास प्रकोष्ठ)  
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.  
न्यू सी.जी.ओ. भवन, 48, न्यू मरीन लाईन्स,  
फैक्स सं.022-2004693, E-mail: [texcomindia@txcindia.com](mailto:texcomindia@txcindia.com)  
फोन नं.022-2001050-268/249.

सं. 1(5)/2003-पीडीसी/

दिनांक :

सेवा में

प्रभारी अधिकारी,

वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय,

मुंबई/चेन्नई/अहमदबाद/अमृतसर/नोएडा/कोलकाता/कानपुर/कोईम्बतूर

विषय : विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा - बुनाई उद्योग के लिए समूह वर्कशेड योजना  
महोदय,

भारत सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत विद्युत कर्घा क्षेत्र के लिए ग्रुप वर्कशेड योजना मंजूर की है, जिसका उद्देश्य आधुनिक बुनाई मशीनों के साथ पावरलूम क्लस्टर्स स्थापित करना है, जिससे कि वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा में अपनी क्षमता बढ़ा सके।

योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश संलग्न हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकेन्द्रीकृत विद्युतकर्घा उद्योग को योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ उठाने के लिए सुग्राही बनाने हेतु सकारात्मक कदम उठाएं इस कार्य में विद्युत कर्घा सेवा केन्द्रों का सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करेंगे। वे ग्रुप वर्कशेड स्थापित करने के लिए इच्छुक संघों/उद्यमियों को उचित परियोजना प्रस्ताव बनाने में सहायता करेंगे।

भवदीय,

संलग्न : यथोपरि ।

( सुबोध कुमार )

वस्त्र आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमती किरण धींगरा, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय,  
भारत सरकार, नई दिल्ली : 110 011. ----- सूचनार्थ ।
2. सभी विद्युत करघा सेवा केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी ----- योजना को संपूर्ण रूप से सहायता देने हेतु ।
3. सभी वस्त्र अनुसंधान संघों के निदेशक ----- योजना को सुग्राही बनाने हेतु ।

( सुबोध कुमार )

वस्त्र आयुक्त